



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06022021-224994
CG-DL-E-06022021-224994

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 499]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 5, 2021/माघ 16, 1942

No. 499]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 5, 2021/MAGHA 16, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2021

का.आ. 549(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 उप धारा (1) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 3723 तारीख 20.10.2020 जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र संख्या 3303, भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (II) तारीख 21.10.2020 और में किया गया है। इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट आंध्रप्रदेश राज्य के जिला विशाखापटनम के मंडल : रामबिल्लि की भूमि में, ओडीशा राज्य में पारादीप से तेलंगाना राज्य में हैदराबाद तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे “पारादीप-हैदराबाद पाइपलाइन परियोजना” के संबंध में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी:

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं। और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए:

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए सभी बिल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची					
जिला : विशाखापटनम			राज्य : आंध्र प्रदेश		
मंडल का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रामबिल्लि	वेलचेरु	276	00	03	08
		275	00	09	71
		170/4	00	44	92
		170/2	00	00	10
		105	00	00	40
		107/2	00	01	11
		68	00	03	64
		69/4	00	02	23
		69/2	00	01	01
		37	00	00	51
		36	00	00	81
		31	00	01	52
		20/5	00	01	72
		20/6	00	01	62
		20/1	00	01	01
		24	00	00	10
		188/2	00	05	37
		189/2	00	15	99
		192	00	07	19
रामबिल्लि	विजयारामपुरम अग्रहारम	21	00	13	05
		38	00	28	43

[फा.सं.आर- 11025 (11)/252/2017-ओआर I/ई-21033]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2021

S.O. 549(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, published in the Gazette of India No.3303 Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated 21.10.2020 vide S.O.No. 3723(E) dated 20.10.2020 issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land situated in Mandal: Rambilli of Visakhapatnam District in Andhra Pradesh State, specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of petroleum products from Paradip in the State of Odisha to Hyderabad in the State of Telangana by the Indian Oil Corporation Limited for implementing the "Paradip-Hyderabad Pipeline Project".

And whereas the copies of the Gazette were made available to the public. And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, has submitted his report of Central Government.

And whereas, the Central Government after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of the user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user of the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE					
DISTRICT : VISAKHAPATNAM			STATE : ANDHRA PRADESH		
MANDAL	VILLAGE	SURVEY NO.	AREA		
			Hectare	Are	Sq. Mt.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
RAMBILLI	VELCHURU	276	00	03	08
		275	00	09	71
		170/4	00	44	92
		170/2	00	00	10
		105	00	00	40
		107/2	00	01	11
		68	00	03	64
		69/4	00	02	23
		69/2	00	01	01
		37	00	00	51
		36	00	00	81
		31	00	01	52
		20/5	00	01	72
		20/6	00	01	62
		20/1	00	01	01
		24	00	00	10

		188/2	00	05	37
		189/2	00	15	99
		192	00	07	19
RAMBILLI	VIJAYARAMPURAM AGRAHARAM	21	00	13	05
		38	00	28	43

[F. No. R-11025(11)/252/2017-OR-I/E-21033]

P.SOMAKUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2021

का.आ. 550(अ).—केंद्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि आंध्र प्रदेश राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए पारादीप- हैदराबाद पाइपलाइन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केंद्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से ऊपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस (21) दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के संबन्ध में श्री बी.वेंकटेशु, सक्षम प्राधिकारी (आंध्र प्रदेश), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पाइपलाइन्स प्रभाग), पारादीप-हैदराबाद पाइपलाइन परियोजना, चौथी मंजिल, एल.आई.सी. एनेक्सी भवन, थिक्कना (डायमंड पार्क) रोड, आर.टी.सी. कॉम्प्लेक्स के पास, विशाखापटनम - 530004, आंध्र प्रदेश राज्य को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची					
जिला : विशाखापटनम			राज्य : आंध्र प्रदेश		
मंडल का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सब्बावरम	अमृतापुरम	387	00	01	11
		340/1	00	01	52
		340/2	00	03	24
		340/3	00	02	83
		299/19	00	01	01
		299/20	00	00	81

		299/25	00	02	43
		299/26	00	02	63
		299/27	00	01	59
		299/8	00	00	12
		301/4	00	00	46
		301/1	00	00	42
		285/6	00	01	41
		285/7	00	11	74
		428/35	00	00	75
		428/34	00	00	79
		291/9	00	02	43
		291/2	00	05	06
सब्बावरम	गालिभीमावरम	106/8	00	00	34
		109/1	00	00	44
		103/4	00	00	16
		103/5	00	00	03
		103/8	00	00	23
		103/9	00	00	51
		103/13	00	00	11
		103/14	00	00	05
सब्बावरम	असकापल्लि	84/27	00	00	39
		84/26	00	01	02
		81/17	00	00	21
		81/19	00	00	08
		81/35	00	00	36
		81/37	00	00	71
		62/2C	00	00	06
		62/7	00	00	19
		62/9	00	00	19
		62/10	00	00	38
		57/22	00	03	62

[फा.सं.आर- 11025 (11)/252/2017-ओआर I/ई-21033]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2021

S.O. 550(E).—Whereas, it appears to the Central Government, that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum products in the state of Andhra Pradesh a pipeline should be laid for implementing Paradip-Hyderabad Pipeline Project under Paradip-Hyderabad Pipeline by the Indian Oil Corporation Limited;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub Section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person who is interested in the land described in the said schedule, may submit objection in writing to Shri. B.Venkatesu, Competent Authority (Andhra Pradesh) Indian Oil Corporation Limited (Pipelines Division), Paradip Hyderabad Pipeline Project, 4th floor, LIC Annexe Building, Thikkana (Diamond Park) Road, Near RTCCComplex, Visakhapatnam - 530004 within twenty one (21) days from the date on which the copies of this notification issued under Sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the general public.

SCHEDULE					
DISTRICT : VISAKHAPATNAM			STATE : ANDHRA PRADESH		
MANDAL	VILLAGE	SURVEY NO.	AREA		
			Hectare	Are	Sq. Mt.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SABBAVARAM	AMRUTHAPURAM	387	00	01	11
		340/1	00	01	52
		340/2	00	03	24
		340/3	00	02	83
		299/19	00	01	01
		299/20	00	00	81
		299/25	00	02	43
		299/26	00	02	63
		299/27	00	01	59
		299/8	00	00	12
		301/4	00	00	46
		301/1	00	00	42
		285/6	00	01	41
		285/7	00	11	74
		428/35	00	00	75
		428/34	00	00	79
		291/9	00	02	43
		291/2	00	05	06
SABBAVARAM	GALIBHIMAVARAM	106/8	00	00	34
		109/1	00	00	44
		103/4	00	00	16
		103/5	00	00	03
		103/8	00	00	23
		103/9	00	00	51
		103/13	00	00	11
		103/14	00	00	05
SABBAVARAM	ASAKAPALLI	84/27	00	00	39
		84/26	00	01	02
		81/17	00	00	21
		81/19	00	00	08
		81/35	00	00	36
		81/37	00	00	71

		62/2C	00	00	06
		62/7	00	00	19
		62/9	00	00	19
		62/10	00	00	38
		57/22	00	03	62

[F. No. R-11025(11)/252/2017-OR-I/E-21033]

P.SOMAKUMAR, Under Secy.